न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2017

1. मो0 असलम पुत्र श्री समदनूरखां कौम देशवाली निवासी रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर राजस्थान।
2. रफीक खां पुत्र श्री बीरमा खां ज़ाति चीता निवासी चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर राजस्थान।

................प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर।

...............अप्रार्थीगण

राजस्व0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राज0 काश्त0 संशोधित अधिनियम 2010

आदेश

दिनांक 21.06.2017

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है। कि वह ग्राम मसूदा प्रथम पटवार हल्का एवं भू0 अ0 नि0 क्षेत्र मसूदा प्रथम तहसील मसूदा जिला अजमेर में उसकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां खसरा नम्बर 534/1, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544 किता 10 रक्बा 15–11–00 बीघा ग्राम मसूदा प्रथम में स्थित है जिस पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खेत पर कृषि करने में परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थीगण को ग्राम मसूदा प्रथम स्थित सरकारी बंजर भूमि बा0 3 ख0 न0 4585/547 रक्बा 0–05–00 बिस्वा से 30 फीट चोडा रास्ता बाजार भाव दर से दिलवाने की कृपा करावे। अपेक्षित मार्ग नक्शा में दर्शाया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब पर उसकी और से रिपोर्ट जवाब पेश किया गया। अतः प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम मसूदा प्रथम की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के खाता स0 561 में प्रार्थीगण के ख0 न0 534/1, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544 किता 10 कुल रक्बा 15–11–00 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। तथा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई विकल्प नही है। प्रार्थीगण राजकीय दरो से डी0एल0सी0 दर अनुसार कोस्ट जमा कराने व इसमें रास्ता तरमीम करवाना चाहते है।

इस रास्ते के लिए ख0 न0 4585/547 में से रक्बा 0–0–14 कुल 600वर्ग फीट भूमि जानी है। जिसके अनुसार ख0 न0 4585/547 की कुल 0–0–14 बिस्वासी जमीन में रास्ता तरमीम किया जाना है। ग्राम मसूदा प्रथम में बा0 3 भूमि की DLC दर प्रति बीघानुसार 90200/ है।

इस सभी तथ्यों पर विवेचन करने पर प्रार्थीगण की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध होना नही पाया जाता। प्रार्थीगण भी सरकारी आराजी किस्म बारानी 3 से रास्ता चाहते है। जिस बाबत् तहसीलदार मसूदा के

जांच प्रतिवेदन में कोई ऐतराज नही आया है। एसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251, ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0 न0 534/1, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544 कुल रक्बा 15–11–00 बीघा पर आने जाने के लिए ख0 न0 4585/547 रक्बा 00–00–14 बिस्वासी भूमि पर 30 फीट चोडा रास्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित नक्शेनुसार तरमीम करने के आदेश भूमि किमत 3157 दो गुणा किमत रु 6314 पर स्वीकृत दी जाती है। तहसीलदार मसूदा रु 6314/– प्रार्थीगण से खजाने सरकार जमा करवाकर नक्शा लंकलाट के अनुसार तरमीम करावे। यथानुसार तहसीलदार मसूदा पर तहरीर जारी हो। वाद जमा कराने राशि आदेश की पालना हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 15:35:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: